फर्द अहकाम

पारवी बनाम हरिशंकर

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 51/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 30/5/25 को पेश हो।
	30/5/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश हुयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा जाहिर तथ्यों पर चिन्तन एवं मनन के उपरान्त प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/25

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :- 51/2024
जीसीएमएस नम्बर :- 2024/33

पाखी शर्मा पुत्री श्री रामप्रकाश शर्मा, निवासी 2014, पीतलियों का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर हाल निवाशी ए-853, सिन्धी कॉलोनी, झूले लाल मन्दिर के पास, आदर्श नगर, जयपुर।

--------प्रार्थीया

-: बनाम :-

1. श्री हरिशंकर पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण (प्रार्थीया का दादाजी)
2. श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हरिशंकर (प्रार्थीया का पिता)
3. श्री उमाशंकर पुत्र श्री हरिशंकर (प्रार्थीया का ताऊजी)
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिशंकर (प्रार्थीया का ताऊजी)
5. दिनेश पुत्र श्री हरिशंकर (प्रार्थीया का चाचाजी)
   जाति-ब्राह्मण, निवासीयान-2014, पीतलियो का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर
6. तहसीलदार बस्सी, तहसील कार्यालय बस्सी, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक बस्सी, पंजीयक कार्यालय, बस्सी जिला जरापुर।

------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 30.05.2025

1. संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 बउनवानी पाखी बनाम हरिशंकर वगैराह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

2. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया कि उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस व सुदृढ आधारों पर विधिवत पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीया को अपनी सफलता की पूरी पूरी आशा है।

3. प्रार्थीया प्रार्थनापत्र में वर्णित हाल पते प्लॉट संख्या-ए-583, सिन्धी कॉलोनी, झूले लाल मन्दिर के पास, आदर्श नगर, जयपुर पर अपनी माता श्रीमती तारा शर्मा के साथ निवास कर रही हैं।

4. वाके ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या पुराना 69 खाता संख्या- 520 नया जिसके खसरा नम्बर- 1048/644 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049/644 रकबा 1.0600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053/527 रकबा 0.0949 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5949 हैक्टयर राम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

5. उक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीया के पडदादाजी स्वर्गीय श्री नारायण सहाय पुत्र स्वर्गीय श्री भौरी लाला जी कचोरी वाला द्वारा छोडी गई चल एंव अचल सम्पत्ति से अर्जित एवं विरासत में प्राप्त सम्पत्ति हैं तथा प्रार्थीया के पडदादाजी स्वर्गीय श्री नारायण सहाय पुत्र स्वर्गीय श्री भौरी लाला जी कचोरी वाला के विधिक वारिसान का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

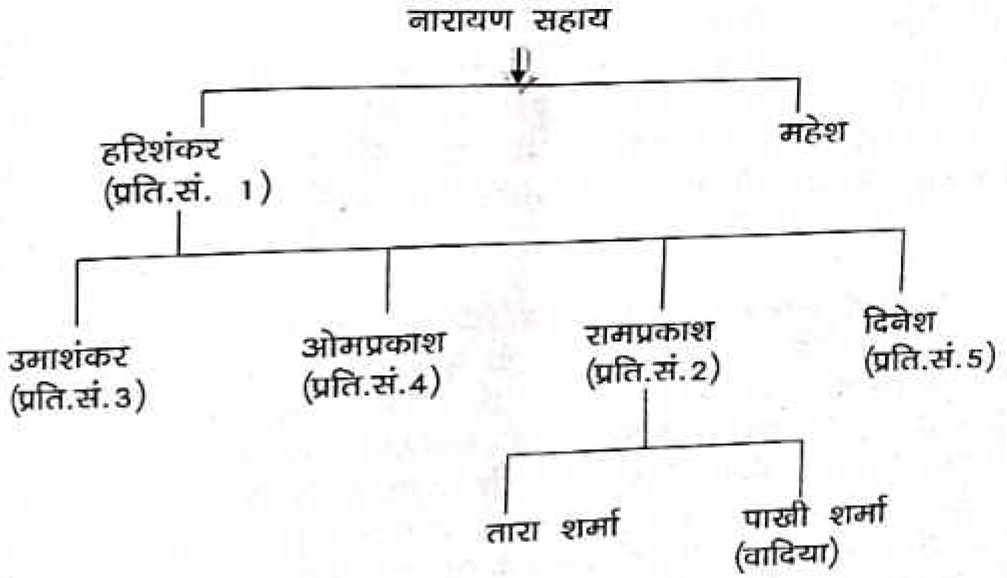

उपरोक्त विधिक वारिसान के विवरण अनुसार प्रार्थीया के पडदादाजी स्वर्गीय श्री नारायणसहाय पुत्र भौरी लाला जी कचोरी वाला के दो पुत्र क्रमशः हरिशंकर एवं महेश हुए तथा प्रार्थीया के दादाजी हरिशंकर के चार पुत्र क्रमशः उमाशंकर, ओमप्रकाश, रामप्रकाश एवं दिनेश हुए और हरिशंकर के पुत्र रामप्रकश के विधिक वारिसान में रागप्रकाश की पत्नि श्रीमती तारा शर्मा एवं एक पुत्री प्रार्थीया पाखी शर्मा हैं। इस प्रकार से उक्त वर्णित पैतृक आराजीयात में प्रार्थीया के दादाजी अप्रार्थी संख्या-1 का राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 69 पुराना एवं खाता संख्या 520 नया

जिसके खसरा नम्बर– 1048/644 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049/644 रकबा 1.0600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053/527 रकबा 0. 0949 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5949 हैक्टयर सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या–1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं उक्त कृषि आराजीयात सम्पूर्ण प्रार्थीया के दादाजी अप्रार्थी संख्या–1 विभाजन दिनांक 21.03.2022 के द्वारा विरासत में प्राप्त हुई है जो कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि आराजीयात हैं जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक, हिस्सा निहित हैं।

6. प्रार्थीया के दादाजी ने प्रार्थीया के पिता श्री रामप्रकाश का विवाह प्रार्थीया की माता श्रीमती तारा शर्मा के साथ दिनांक 07.03.2000 को किया था और प्रार्थीया के पिता एंव प्रार्थीया की माता के विवाह उपरान्त प्रार्थीया की माता ने दिनांक 02.03.2002 को प्रार्थीया को जन्म दिया। इसलिए प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या–1 के विधिक वारिसान की श्रेणी में आती हैं जिसका जन्म से ही प्रार्थनापत्र की मद संख्या–2 में वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात में हक व हिस्सा निहित हैं।

7. प्रार्थीया की माता श्रीमती तारा शर्मा ने अप्रार्थी संख्या–1 के निवास स्थान पर सांझा संयुक्त परिवार में रहते हुए प्रार्थीया को जन्म दिया है और प्रार्थीया अपने जन्म के पश्चात दिनांक 06.07.2015 तक अप्रार्थी संख्या–1 के निवास स्थान पर संयुक्त सांझा परिवार में ही निवासरत रही। इस प्रकार से प्रार्थीया का उसके जन्म से ही प्रार्थनापत्र की मद संख्या–2 में वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात में हक हिस्सा व अधिकार निहित हैं।

8. अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रार्थीया की माता के साथ विवाह होने उपरान्त से ही प्रार्थीया की माता को दहेज के रूप में नकद राशि लाने का दबाव बनाने लगा तथा शराब व अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर गाली गलौच व मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा उसके बावजूद भी प्रार्थीया की माता द्वारा अपनी गृहस्थी को बनाये रखने के लिए अप्रार्थी संख्या–2 के प्रत्येक क्रूरता पूर्ण व्यवहार को सहन कर अपने दाम्पत्य सम्बन्धो का निर्वहन करती रही जिसके फलस्वरूप प्रार्थीया की माता ने दिनांक 02.03.2002 को प्रार्थीया को जन्म दिया। प्रार्थीया की माता द्वारा प्रार्थीया को जन्म दिये जाने के पश्चात प्रार्थीया की माता को और अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर अपने पीहर से नकद राशि लाने का दबाव बनाने लगा और अपनी मांग को पूरा करवाये जाने के लिए प्रार्थीया की माता के साथ मारपीट एवं गाली गलौच की जाने लगी और अन्ततः दिनांक 06.07.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीया की माता के साथ पांच लाख रूपये अपने पीहर से लाने के लिए बुरी तरह लात घूसो से जबरदस्त मारपीट की जिस कारण प्रार्थीया की माता नाबालिग प्रार्थीया को साथ लेकर अपने पीहर आकर निवास करने लगी और यह सोचकर की भविष्य में सब

30/5/25

ठीक हो जावेगा इसलिए प्रार्थीया की माता ने अप्रार्थी संख्या-2 के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नही की।

9. प्रार्थीया की माता अपनी नाबालिग पुत्री को साथ लेकर अपने पीहर में निवास करने पर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की माता के भरण पोषण हेतु कोई राशि नही दी और ना ही प्रार्थीया की पढाई लिखाई आदि का ही कोई खर्चा दिया जबकि प्रार्थीया की माता ने कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या- 2 से भरण पोषण एवं प्रार्थीया की पढाई लिखाई हेतु खर्चा दिये जाने तथा प्रार्थीया की माता का स्त्रीधन लौटाये जाने की मांग की लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रार्थीया की माता को ना तो भरण पोषण एवं पढाई लिखाई का खर्चा दिया और ना ही प्रार्थीया की माता का स्त्रीधन लौटाया। बल्कि प्रार्थीया की माता का स्त्रीधन सोने चाँदी के आभूषण को अपने शराब व अन्य नशीले पदार्थो के लिए बेचान आदि कर खुर्द बुर्द कर दिया और प्रार्थीया की माता से दहेज के रूप में पांच लाख रूपये अपने परिवारजन से दिलवाये जाने के लिए दबाव बनाने लगा। अप्रार्थी संख्या-2 की उक्त मांग एंव प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की माता का भरण पोषण आदि का खर्चा नही दिये जाने के कारण प्रार्थीया की माता ने अन्ततः दिनांक 21.05.2019 को अन्तर्गत धारा 406, 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय में इस्तगासा पेश किया और उसके पश्चात भरण पोषण एवं रहवास आदि व्यय के लिए एक परिप्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो विचाराधीन हैं।

10. प्रार्थीया की माता द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध उक्त उनवानी परिवाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रार्थीया की माता एंव प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या-2 को अपने एंव सामाजिक स्तर पर समझाने का भरसक प्रयास किया किन्तु अप्रार्थी संख्या-2 पर कोई प्रभाव नही हुआ और अप्रार्थी संख्या-2 के अभिकथनो एवं उसके हाव-भाव को देखते हुए यह आभाष हुआ कि अप्रार्थी संख्या-2 प्रार्थीया एवं उसकी माता को अपने साथ नही रखेगा तो प्रार्थीया की माता ने अन्ततः अप्रार्थी संख्या-2 से हुए विवाह को विघटित करवाये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय के समक्ष पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन हैं।

11. प्रार्थीया की माता द्वारा धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात एवं प्रार्थीया द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 एवं उसके साथ संलग्न अन्तरिम भरण पोषण के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर 7000/-रूपये प्रतिमाह अन्तरित भरण पोषण राशि अदा किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या-2 को आदेशित किया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त अन्तरिम भरण पोषण राशि अदा किये जाने हेतु आदेशित किये जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रार्थीया को स्पष्ट रूप कहा कि मेरे एवं तुम्हारी माता के मध्य हुए विवाह को मैं विघटित नही करवाऊगां और प्रार्थीया को ऐलानिया रूप से धमकी देते हुए कहा कि मैं तूझे व तेरी

30/5/25

माँ को दर-दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर तुम दोनो की जिन्दगी बर्बाद कर दूगां।

12.इसके पश्चात प्रार्थीया के बालिग होने पर प्रार्थीया ने अपने दादाजी अप्रार्थी संख्या-1 से सम्पर्क किया और कहा कि मेरी माता एंव पिता के मध्य जो भी विवाद है और वह क्यों उत्पन्न हैं इस सम्बन्ध में मेरा कोई दोष नही हैं फिर मेरा भविष्य क्यों खराब किया जा रहा हैं और मुझे मेरे मौलिक एव संवैधानिक तथा विधिक अधिकारो से क्यों महरूम किया जा रहा हैं जिस पर प्रार्थीया के दादाजी अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रार्थीया को आश्वस्त किया था कि वह शीघ्र ही प्रार्थीया की माता एव अप्रार्थी संख्या-2 के मध्य विवाद निपटान करवा कर प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की माता को उनके निवास स्थान में ही रिहायश हेतु बुलवा लेगें और प्रार्थीया के किसी भी विधिक एवं संवैधानिक तथा साम्पत्तिक अधिकारों का हनन नही होने देगें। अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रार्थीया को दिये गये आश्वासन पर प्रार्थीया ने विश्वास कर लिया और अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा दिये गये आवश्वासन के अनुसार समय का इन्तजार करती रही। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2023 के अन्त तक भी प्रार्थीया के साम्पत्तिक अधिकारो बाबत कोई सूचना नही दी। जिस पर प्रार्थीया ने माह जनवरी 2024 में मकर संक्रान्ति पर पुनः सम्पर्क किया तो उस समय भी अप्रार्थी संख्या-1 ने प्रार्थीया को उक्त आवश्वासन देकर पुनः लौटा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी और प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या-1 के आश्वासन पर विश्वास करती रही।

13.प्रार्थीया का उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात में अप्रार्थीगण के समान ही जन्म से हक, हिस्सा निहित हैं और अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के पडदादाजी स्वर्गीय नारायण जी पुत्र भौरी लाला जी कचोरी वाला द्वारा विरासत में छोडी गई चल एवं अचल सम्पत्ति से अर्जित उक्त वर्णित कृषि आराजीयात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की मद संख्या-3 में किया गया है में निहित प्रार्थीया के हक व हिस्से को किसी भी प्रकार से दीगर व्यक्ति को दान, रहन, बैय, बख्शीश, बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं।

14.दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थीया को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या-2 लगायत 3 के प्रभाव एंव बहकावे में आकर प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णितानुसार निहित हक एंव हिस्से की कृषि आराजीयात को दीगरान् को बेचान करने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर प्रार्थीया ने दिनांक 25.03.2024 होली के दिन अप्रार्थी संख्या-1 व 2 से सम्पर्क किया और उक्त तथ्यो की बाबत बातचीत की तो अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने प्रार्थीया को स्पष्ट रूप से प्रार्थीया को प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थीया का हक एंव हिस्सा निहित होने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि हम शीघ्र ही प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णित कृषि आराजीयात को दीगरान् को बेचान कर विक्रय पत्र का पंजीयन अप्रार्थी संख्या-7 के यहां करवा कर

20/5/25

भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा सुपुर्द कर देगें तथा विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा देगें जिस बाबत अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को हमने प्रभाव में ले लिया हैं। जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या-3 व 4 से सम्पर्क कर प्रार्थीया का हक एवं हिस्सा दिलवाये जाने का आग्रह किया तो अप्रार्थी सं.-3 व 4 ने भी प्रार्थीया को उसका हक पंच हिस्सा दिलवाये जाने से साफ इन्कार करते हुए अप्रार्थी संख्या-1 व 2 के अभिकथनो की पुष्टि करते हुए प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णित कृषि आराजीयात को शीघ्र ही दिगरान को बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने के लिए कहा जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है।

15.प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीया के पडदादाजी स्वर्गीय श्री नारायण जी द्वारा विरासत में छोडी गई चल एवं अचल सम्पत्ति से अर्जित पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें प्रार्थीया का जन्म से कानूनी रूप से हक व अधिकार हैं और अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 5 को यह कतई कानूनी अधिकार नही हैं कि वह प्रार्थीया के उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में निहित हक व अधिकार को समाप्त करते हुए प्रार्थनापत्र की मद संख्या-2 में वर्णित कृषि आराजीयात सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को किसी भी प्रकार से दान, रहन, बैय, बख्शीश विक्रय कर दीगर व्यक्ति को कब्जा सुपुर्द करे इसलिए प्रार्थीया को यह पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त हैं कि प्रार्थीया माननीय न्यायालय से इस आशय की घोषणा करवाये कि वाके ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 69 पुराना एवं खाता संख्या-520 नया जिसके खसरा नम्बर- 1048/644 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049/644 रकबा 1.0600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053/527 रकबा 0.0949 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5949 हैक्टयर सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जो प्रार्थीया की पैतृक कृषि आराजीयात हैं जिसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा निहित हैं जिसे प्रार्थीया अल्हदा कायम करवा कर अपने हिस्से का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी हैं तथा प्रार्थीया को यह भी अधिकार है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 5 प्रार्थीया के पडदादाजी स्वर्गीय श्री नारायण जी द्वारा विरासत में छोडी गई चल एंव अचल सम्पत्ति से अर्जित वाके ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या-69 पुराना एवं खाता संख्या- 520 नया जिसके खसरा नम्बर-1048/644 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049/644 रकबा 1.0600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053/527 रकबा 0.0949 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5949 हैक्टयर सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं और राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित हक एवं हिस्से की कृषि आराजीयात में से प्रार्थीया के हक व अधिकार के 1/8 हिस्से को किसी भी दीगर व्यक्ति को दान, रहन, बैय, बख्शीश विक्रय इत्यादि नहीं करे ना ही वास्तविक एवं भौतिक

30/5/25

कब्जा किसी अन्य दीगर व्यक्ति/संस्था को सुपुर्द करे और ना ही प्रार्थीया को उसके साम्पत्तिक अधिकारो से महरूम करे ऐसा कृत्य अप्रार्थी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन, प्रतिनिधी आदि से ही करवाये।

16.अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की मद संख्या-3 में वर्णित प्रार्थीया की पैतृक सम्पत्ति में निहित प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि का दीगर व्यक्ति/संस्थान को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर देगें तथा प्रार्थीया को उसके साम्पत्तिक अधिकारो से महरूम करते हुए कृषि आराजीयात का कब्जा दीगरान् को सुपुर्द कर बहुवाद विवादिता बढ़ा देगें जिससे प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना किसी प्रकार सम्भव नही होगा।

17.प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला हैं तथा सुविधा का संतुलन भी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

18.प्रार्थनापत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 69 पुराना एवं खाता संख्या-520 नया जिसके खसरा नम्बर- 1048/644 रकबा 0. 4400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049/644 रकबा 1.0600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053/527 रकबा 0.0949 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5949 हैक्टयर सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं और राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित हक एवं हिस्से की कृषि आराजीयात में से प्रार्थीया के हक व अधिकार के 1/8 हिस्से को किसी भी दीगर व्यक्ति को दान, रहन, बैय, बख्शीश विक्रय इत्यादि नही करे ना ही वास्तविक एवं भौतिक कब्जा किसी अन्य दीगर व्यक्ति/संस्था को सुपुर्द करे और ना ही प्रार्थीया को उसके साम्पत्तिक अधिकारो से महरूम करे तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में प्रार्थनापत्र की मद संख्या-3 में वर्णित कृषि आराजीयात सम्पूर्ण या उसके किसी भी अंश व भाग की बाबत निष्पादित किये गये हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नही करे और ना ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करें ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन, प्रतिनिधी आदि से ही करवाये।

19.न्यायालय द्वारा दिनांक को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करने के आदेश पारित किये तथा डिस्पेच नम्बर 1136-42 दिनांक 27.01.2023 द्वारा अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 30.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व

30/5/25

2 के अधिवक्ता उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी संख्या 4 का रजिस्टर्ड लिफाफा रिफ्यूजड के नोट के लौटकर प्राप्त हुआ जो मूलवाद पत्र की पत्रावली के साथ संलग्न किया गया व अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के लिफाफे अदम तामील लौटकर प्राप्त हुऐ एवं दिनांक 28.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की तलबी जरिये अखबार साया करवाये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 13.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 4 की सम्यक तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की तलबी के अखबार की प्रति पेश की। प्रार्थीया के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की अन्तरिम अनुतोष पर बहस सुनकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1048/644, 1049/644, 1053/527, कुल किता 3 कुल रकबा 1.5949 हैक्टयर स्थित ग्राम बांसखोह तह बस्सी जिला जयपुर का प्रार्थीया के नोशनल शेयर पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम व्यादेश जारी किया गया। दिनांक 08.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 व 5 सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से जवाब टी.आई पेश हुआ।

20.अप्रार्थी 1 लगायत 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया ने उनवानी वाद पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसमे प्रार्थीया को सफलता की कोई आशा व उम्मीद नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

21.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित है यह ज्ञान के अभाव मे अस्वीकार हैं। प्रार्थीया स्वयं साबित करे।

22.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकoर्ड एवं जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार स्वीकार है।

23.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य एवं वारिसनामा अस्वीकार है। वास्तिकता मे प्रार्थीया ने उक्त मद मे अप्रार्थी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसो का उल्लेख गलत किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी के विधिक अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 एंव उसकी पत्नि भी शामिल है तथा प्रार्थना ग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या । की पत्नि का भी हिस्सा निहित है। कानूनन जब तक प्रथम श्रेणी के वारिसान का हिस्सा निर्धारित नहीं हुआ हो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को प्रार्थना ग्रस्त भूमि में अपने हक एवं अधिकार प्राप्त करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

24.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है प्रार्थीया की मां तारा देवी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य घरेलू हिंसा एवं विवाह विच्छेद याचिका इत्यादि मुकदमे संबंधित न्यायालयो मे विचाराधीन है एवं प्रार्थीया की मां तारा देवी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पुलिस थाना महिला जयपुर पूर्व मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 381/2019 जुर्म

30/5/25

अन्तर्गत धारा 498 ए 406 आईपीसी के तहत दर्ज करवायी थी। जिसरो संबंधित मुकदमा न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या 5 जयपुर महानगर द्वितीय में विचाराधीन है एवं वर्तमान में प्रार्थीया अपनी मां तारा देवी के साथ ही निवास कर रही है। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता है।

25.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य झूठे व मनगढंत बेमुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया जन्म से ही अपने नाना के घर निवास कर रही है तथा वर्तमान मे भी अपनी मां तारा शर्मा के साथ अपने नाना के घर ही निवास कर रही है। प्रार्थीया कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पास व उनके साथ उनके निवास स्थान पर नही रही। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं।

26.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 मे वर्णित तथ्य झूठे व मनगढ्ंत होने के कारण अस्वीकार है। वास्तिकता में प्रार्थीया की माता तारा शर्मा आये दिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ लडाई झगडा करती थी तथा प्रार्थीया की मां तारा शर्मा झगडालू प्रवत्ति की महिला है। जो आये दिन बिना किसी बात के अप्रार्थी संख्या 2 की मां से झगडा कर गृह क्लेश करती रहती थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को व उसके परिवारजन को झूठे मुकदमो में फंसाने एवं जेल भिजवाने की धमकीया देती थी। वर्ष 2015 मे प्रार्थीया की मां तारा देवी अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवारजन को झूठे मुकदमो में फंसाने एवं उनकी समपत्तिया हडपने की धमकी देकर बिना किसी युक्ति युक्त कारण के घर छोडकर चली गयी तथा प्रार्थीया के साथ अपने पीहर मे आकर निवास करने लगी। प्रार्थीया की माता तारा देवी अपने पीहर मे जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध कई प्रकार के सिविल व फौजदारी मुकदमे दर्ज करवाये है। जो कि वर्तमान में विचाराधीन है।

27.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार वर्णित है, अस्वीकार है। वादी ने उक्त मद में झूठे व मनगढंत तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीया व उसकी मां तारा देवी को अपने साथ सही तरीके से रखा है तथा उन्हे दैनिक जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर उपलब्ध करवायी है तथा समय समय पर भरण पोषण राशि इत्यादि दिया है। परन्तु प्रार्थीया व उसकी मां तारा देवी उच्च विचारो की महिलाये है जो आये दिन अनावश्यक फिजूल खर्ची इत्यादि करती है तथा उन्होने अपनी फिजूल खर्ची मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवाह के समय दिये गये सम्पूर्ण स्त्री धन को भी खुर्दबुर्द कर दिया है।

28.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार वर्णित है, अस्वीकार है। वादी ने उक्त मद में झूठे व मनगढंत तथ्य अंकित किये है वास्तिकता मे प्रार्थीया व उसकी मां तारा देवी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से पैसे ऐंठना चाहती है क्योंकि प्रार्थीया की मां तारा देवी

30/5/25

ने अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एक परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू महिलाओ का संरक्षण अधिनियम एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 381/2019 जुर्म अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 आईपीसी एवं एक प्रार्थना पत्र धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसे स्पष्ट है कि प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि मे अपना हक व हिस्सा नही होते हुये भी केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को हैरान परेशान करने के उदेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

29.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। वादी ने उक्त मद में झूठे व मनगढंत तथ्य अंकित किये है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कभी भी वादिया व उसकी मां को अपने साथ रखने के लिये मना नहीं किया प्रार्थीया एवं उसकी मां तारा देवी ही आये दिन अप्रार्थीगण से लडाई झगडा करती थी तथा उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करवा दी थी। जिससे अप्रार्थी संख्या 2 को गहरा मानसिक आघात पहुंचा है।

30.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। प्रार्थीया ने उक्त मद में झूठे मनगढंत व बेमुनियाद तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से कभी भी किसी प्रकार का कोई संपर्क नही किया ना ही प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नि के इस वृद्ध जीवन के बारे मे कभी भी हाल चाल तक नही पूछा जब कि प्रार्थीया का नैतिक दायित्व था कि वह अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि प्रार्थीया की दादी का इस बुढापे में सहारा बने। परन्तु प्रार्थीया मे इस प्रकार के कोई संस्कार नही है वह तो केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पत्ति को हडपना चाहती है तथा उन्हे हैरान परेशान करके पैसे ऐंठना चाहती है। 12 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। प्रार्थीया का प्रार्थना ग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। काननन जब तक अप्राथर्थी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी के वारिसान का हिस्सा तय नही किया जाता तब तक प्रार्थीया का उक्त वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है चूंकि प्रार्थीया स्वयं अपनी मां तारा देवी के साथ निवास कर रही है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना ग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है।

31.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 13 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थीया को व दिनांक 25.03.2024 को प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य किसी प्रकार का कोई बातचीत व घटना उत्पन्न नही हुई है। प्रार्थीया ने उक्त मद में झूठे व मनगढंत तथ्य अंकित किये है काननन बिना प्रार्थना कारण उत्पन्न हुये प्रार्थीया का प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

32.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 14 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना ग्रस्त भूमि का रिक०डेर्ड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 से पृथक निवास

30/5/25

करता है तथा उक्त प्रार्थना ग्रस्त भूमि ही अप्रार्थी संख्या 1 के जीवकोपार्जन एक मात्र जरिया है। काननन अप्रार्थी संख्या 1 अपने जीते जी उक्त प्रार्थना ग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 में विभाजित नहीं कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि स्वतः ही उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अप्रार्थीगण ने विभाजित हो जायेगी एवं उसके पश्चात प्रार्थीया अपने हक व अधिकारो को प्राप्त करने के स्वतंत्र है।

33.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 15 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का रिक०डेर्ड काविज खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि पर निरंतर रूप से काविज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 की बुढापे की आजिविका का एक मात्र जरिया उक्त आराजीयात ही है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने एवं उनके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रूपये ऐंठने की नियत से प्रस्तुत किया है। यदि प्रार्थीया अपने मकसद में कामयाव हो जाती है तो अपूर्णीय क्षति केवल मात्र अप्रार्थीगण को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी।

34.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 16 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का रिक०डेर्ड काविज खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि पर निरंतर रूप से काविज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या वाद एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

35.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 17 गौरतलब न्यायालय है।

36.प्रार्थना पत्र की मद संख्या 18 गौरतलब न्यायालय है।

37.अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा रिकार्ड पर लेकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने की कृपा करे।

38.उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई।

39.विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो एंव पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित है, इत्यादि तर्कों के

30/5/25

आधार पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

10.विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए, अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए दलील दी गई कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित नहीं नहीं है, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

11.हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीन प्रमुख घटक 1- प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, 2- तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव 3-अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विवेचन व विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण- प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना में अंकित अभिकथनो से यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीया शीर्षक में दर्ज अप्रार्थी संख्या 2 की जायन्दा पुत्री है तथा यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या-1 प्रार्थीया के दादा है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया के दादा वर्तमान में विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या-2 भी जीवित है। प्रार्थीया के दादा के जीवनकाल में प्रार्थीया का विवादित भूमि में हक-हिस्सा व अधिकार बनता है अथवा नहीं। इस तथ्य का मूल वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर ही विनिश्चय किया जा सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा स्तर पर उक्त तथ्य पर विचार किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा नहीं है। प्रार्थीया विवादित विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित नहीं माना जा सकता।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति- प्रार्थीया विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है तथा प्रार्थीया ने ऐसा कोई सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर प्रार्थीया विवादित भूमि पर काबिज काश्त हो। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर प्रार्थीया को कोई असुविधा नहीं होगी तथा ना ही अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अपितु अप्रार्थीगण/ रिकार्डेड खातेदारान् को वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अपूर्णीय क्षति होना संभावित है। इस प्रकार तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं है।

30/5/25

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतएव प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/25

(शिप्रा जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर